

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

## कार्यालय आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.7(1)शिक्षा-2/व्या.स्था./ जयपुर दिनांक 09/11/2017 के क्रम में राजस्थान शिक्षा सेवा के व्याख्याता-हिन्दी (स्कूल शिक्षा) पद के निम्नांकित अधिकारियों के पदस्थापन में आंशिक संशोधन/स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से किए जाते हैं -

क्रसं	नाम कार्मिक	वर्तमान पदस्थापन स्थान (राउमावि)	संशोधित पदस्थापन स्थान(राउमावि)
1	ममता विश्नोई	बा0 धुधाडा- लूणी- जोधपुर	किसान कन्या नागोरी बेरा- जोधपुर
2	मंजूबाला	भोपालपुरा- गंगानगर	बा0 सूरतगढ- गंगानगर
3	तरूणा यादव	हस्तेडा-गोविन्दगढ- जयपुर	गोविन्दगढ, जयपुर
4	साधुराम यादव	जोरावर नगर श्रीमाधोपुर - सीकर	हस्तेडा-गोविन्दगढ- जयपुर
5	सीताराम मीणा	इटावा- बेगू- चितौड	टीकाराम महवा- दौसा
6	राजल	सावतसर, पदमपुर- गंगानगर	नोहर, हनुमानगढ
7	संतोष शर्मा	चंदलाई-चाकसू- जयपुर	गणपति नगर- जयपुर
8	नारायणलाल मेधवाल	ब्राहमणो का खेरवाडा- झाडेल फलासिया- उदयपुर	नेवज-फलासिया-उदयपुर
9	सत्यभामा गुप्ता,	अम्बेर- जयपुर	मोती कटला- जयपुर
10	सुनिता	मुण्डा, हनुमानगढ	आई.जी.एन.पी. बीकानेर

नोट- निर्वाचन सम्बन्धी कार्य में नियुक्त हो वो प्रमुख शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग एवं समन्वय विभाग के पत्राक प.5(1)प्रसु/अनु-1/2008 पार्ट दिनांक 09.10.2017 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार ऐसे कार्मिकों दिनांक 30.10.2017 से 05.01.2018 की अवधि के पश्चात ही कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करावे ।

उक्त कार्मिक नवीन पदस्थापन स्थान पर तत्काल प्रभाव से कार्यग्रहण करेंगे । नवीन पदस्थापन स्थान पर पद रिक्त नहीं होने की स्थिति में उक्त आदेश प्रभावी नहीं होंगे । तथा योग काल एवं यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

(नथमल डिडेल)

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

दिनांक - 11 11.2017

क्रमांक- शिविरा/मा/सी-7/हिन्दी/संशोधन पदस्थापन/2016

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 विशिष्ट सहायक, मा. राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रा., मा. शिक्षा एवं भाषा विभाग, जयपुर
- 2 निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
- 3 संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को उपरोक्त कार्मिक हेतु कार्योत्तर स्वीकृति जारी किये जाने के प्रस्ताव प्रेषित हैं।
- 4 संबन्धित शिक्षा उपनिदेशक (माध्यमिक/प्रारंभिक)
- 5 संबन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/प्रारंभिक)
- 6 संबन्धित प्रधानाचार्य, डाईट
- 7 संबन्धित प्रधानाचार्य, राउमावि/बाउमावि को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार शाला दर्पण को तत्काल अपडेट करावें।
- 8 संबन्धित कार्मिक
- 9 निजी एवं रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर